

दिनांक

आज्ञा पत्र

12.3.24

पत्रावली पेश। प्रकरण में रैस्पोंडेंट की तामील शेष हे इस हेतु अपीलान्त शेष रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो बस होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 28/5/24 का पेश हों।

साधारण नोटिस

6080-6118

19.08.24

28/5/24

पत्रावली पेश। वकील उमययुध. डी. ए. 1 रजि. 34 की कोर नफीस कहर. 10. 2 एप. 1 कोर का 937 7730 पेश 1/5 का विवेक 15. 1 हो के दि. 3 रज. कोर के ही है। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 6.6.24 का पेश हो।

LC पत्रावली रजि. 91/22
24.11.24

रैस्पोंडेंट न. 34 का रजि. की कोर सत्री नफीस अहमद एस. डी. है।
GeePALLAD.

6.6.24

पत्रावली पेश वकील अलीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं। ~~इस हेतु अपीलान्त में~~ अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपीलान्त में आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय तारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल टफतर हो।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प सुन्धुन)